(b) if so, the details thereof, indicating signing of Agreement if any, in this regard during 1993-94; and so far amongst States, for allocation of water; and

(c) what is the reaction of Government to this lack of arrangements for proper utilisation/distribution of water in the country and whether any National Policy for allocation of available water has been chalked out for proper utilisation of water in the counry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Government of India is making all efforts in resolving inter-State water disputes on sharing of water amicably through negotiations and mutual discussions. A Standing Committee on inter-State issues with Union Minister of Water Resources as Chairman and members drawn from the National Water Resources Council has been constituted in April, 1990 to resolve issues connected with inter-State water disputes. Under the auspices of the Standing Committee, an Agreement was signed between the States of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan and the National Capital Territory of Delhi in May, 1994. So far, a total of 79 agreements have been signed amongst the co-basin States of the country during the post independence period for allocation of water from the inter-State rivers.

(c) A draft national policy guidelines for water allocatron of inter-State rivers fromed recently has been circulated to the State Governments and Union Territories and was also disucced in the meetings of the National Water Board held in June, 1994, in which the States and the Union Territories are represented. The modified draft based on the discussions in the National Water Board was circulated to the States and the Union Territories and included in the agenda for the next meeting of the National Water Resources Council. The Government has also formulated a National Irrigation Management Policy for proper utilisation of water which has been approved by the National Water Board and included in the agenda for the next meeting of the National Water Resources Council.

सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष निधि

1730. श्री इकबाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष निधि स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) क्या पंजाब राज्य को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है ; यदि हां तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में इसे उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) । (क) से (घ) जी, नहीं । देश में राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के वास्ते राज्यों को आठवीं योजना अवधि के दौरान विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करना अपेक्षित था । संसाधनों पर प्रतिबंध होने के कारण योजना आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था और यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले पर सबसे पहले राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाए क्योंकि इससे

सिंचाई क्षेत्र हेतु पूर्ण राष्ट्रीय ससाधन उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं होगा । तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई लेकिन राज्य सरकारें अपनी योजना निधि के किसी भी भाग को निर्धारित करने अथवा उसको अलग रखने के लिए सहमत नहीं थी । सतलुज यमुना लिंक नहर (पंजाब भाग) का वित्त-पोषण गैर-योजना के अंतर्गत एक विशेष मामले के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है । पिछली अनुमोदित लागत की राशि की निर्मुक्ति मार्च, 1994 तक पहले ही की जा चुकी है । पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के वास्ते निर्मक्त की गई निधियां 1992–93 में 20 करोड़ रुपए और 1993–94 के दौरान 2.95 करोड़ रुपए थीं ।

यमुना जल का बटवारा

1731. श्री सोमपाल :
डा० नौनिहाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना जल के बंटवारे के संबंध में हाल ही में किए गए समझौते का ब्यौर क्या है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को पृथकवार कितना जल मिलेगा तथा प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से की निर्धारित जलराशि की पूरी मात्रा कब से मिलनी शुरु हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा 12 मई, 1994 को हस्ताक्षर किए गये । समझौता ज्ञापन सभा पटल पर रख दिया गया है (**नीचे देखिये**) ।

जैसे-जैसे यमुना की ऊपरी पहुचों में भंडारणों का निर्माण किया जायेगा वैसे ही अंतरिम मौसमी आबटनों को क्रमिक रूप से करार में प्रदान किए गए अंतिम पूर्ण आबंटनों तक सशोधित किया जायेगा ।

समझौता ज्ञापन

यमुना के सतही प्रवाह के आबटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में 75% विश्वसनीय अवधारित अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलयन घन मीटर आंका गया है और औसत वार्षिक उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है ।

2. और जबकि बिना विनिर्दिष्ट आबंटन के सिचाई एव पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला के बाद तथा ओखला के बाद जल का उपयोग किया जा रहा था ।

3. और जबकि कुछ बेसिन राज्यों द्वारा इस सबध में मांग की गई है और काफी समय से यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन के विनिर्दिष्ट आबटन की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है ।